जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक 03.09.2023**

थाना थानाभवन

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जाफरपुर में पति द्वारा अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या करने की घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्याभियुक्त पति को किया गिरफ्तार, कब्जे से आला कत्ल अवैध तमन्चा मय खोखा कारतूस 12 बोर व एक अन्य तमन्चा 315 बोर बरामद :–

दिनांक 01.09.2023 को थाना थानाभवन क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जाफरपुर में अज्ञात व्यक्ति द्वारा महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी । सूचना पर तत्काल थाना थानाभवन पुलिस मय फोर्स तथा फॉरेन्सिक टीम , एसओजी, सर्विलांस, डॉग स्कवायड भी घटनास्थल पर पहुंचे । सभी टीमो द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना कर एवं परिजनो व मौजूद लोगो से जानकारी कर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किये गये। पुलिस अधीक्षक शामली एवं अपर पुलिस अधीक्षक शामली ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिये। मृतका के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। परिजनों की तहरीर के आधार पर थाना थानाभवन पर मु0अ0स0 0307/2023 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया था। गिरफ्तार अभियुक्त से 01 अतिरिक्त अवैध तमन्चा की बरामदगी के सम्बन्ध में अलग से अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज दिनांक 03.09.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे वांछित/हत्या में लिप्त अपरधियों की गिरफ्तारी से संबंधित अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना थानाभवन पुलिस द्वारा ग्राम जाफरपुर में हुई महिला की हत्या की घटना का अल्प अवधि में सफल अनावरण कर घटना में हत्या भियुक्त बाबू पुत्र तकत सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:-

गिरफ्तार अभियुक्त बाबूराम उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि उसका अपने छोटे भाई स्व0 राजू उपरोक्त की पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध थे जिसको लेकर आये दिन उसका अपनी पत्नी असरोफ के साथ विवाद होता रहता था घटना की रात भी उसका अपनी पत्नी के साथ अवैध सम्बन्ध को लेकर झगडा हुआ था जिससे परेशान होकर उसने अपनी पत्नी असरोफ उपरोक्त की दिनांक 01.09.23 की रात्रि मे गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा तथ्य छुपाने के उद्देश्य से उसने हत्या मे प्रयुक्त आलाकत्ल को भी छिपा दिया था तथा पुलिस से बचने के लिये खुद ही अपनी पत्नी की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या करने के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज करा दिया था अभियुक्त बाबूराम उपरोक्त से सख्ताई से पूछताछ करने पर ईख के खेत से आलाकत्ल एक अदद तमन्चा मय खोखा कारतूस 12 बोर व इसके अतिरिक्त एक अन्य तमन्चा 315 बोर की बरामदगी की गई है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

बाबूराम पुत्र तकत सिंह निवासी ग्राम जाफरपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.आलाकत्ल अवैध तमन्चा मय एक खोखा कारतूस 12 बोर।

2.एक अन्य अवैध तमन्चा 315 बोर।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त बाबूराम उपरोक्त:-

मु0अ0स0 0307/2023 धारा 302 भादवि थाना थानाभवन जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1.प्रभारी निरीक्षक सुदेश कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

2.उ0नि0 प्रवीण कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

3.हे0का0 भगत सिंह भाटी थाना थानाभवन जनपद शामली।

4.हे0का0 जहीन अख्तर थाना थानाभवन जनपद शामली।

5.हे0का0 गोरव राणा थाना थानाभवन जनपद शामली।

6.का0 अनुज कुमार थाना थानाभवन जनपद शामली।

थाना कोतवाली

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 0 1 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से फर्जी नम्बर प्लेट लगी हुयी चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामदः-

आज दिनांक 03.09.2023 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाए जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा सूचना पर 0 1 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल हीरो पैशन प्रो जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट नम्बर UP19B7715 लगी है, बरामद हुई है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। बरामद मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो बताया कि उक्त मोटरसाईकिल दिल्ली से चोरी की थी तथा पुलिस से बचने के लिये मोटरसाईकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगाकर चला रहा हूं।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सूरज कुमार पुत्र अनूप सिंह निवासी ग्राम खेडी पट्टी थाना बाबरी जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

हीरो पैशन प्रो मोटरसाइकिल जिस पर फर्जी नम्बर प्लेट नम्बर UP19B7715 एवं वास्तविक चैसिस नम्बर-MBLHA10BJFGC00137, इ0नं0-HA10ETHFA52274

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री लोकेश थाना कोतवाली जनपद शामली।

2.है0का0 आशीष थाना कोतवाली जनपद शामली।

3.का0 सूर्यप्रताप थाना कोतवाली जनपद शामली।

थाना झिंझाना

ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट थाना मेरठ व जनपद शामली पुलिस की सयुक्त कार्यवाही में अन्तर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 04 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 183.690 कि0ग्रा0 अवैध डोडा पोस्त, 04.016 कि0ग्रा0 अवैध चरस, (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग डोडा 27.50 लाख रुपये व चरस 40 लाख कुल कीमत 67.50 लाख) बरामद।

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ के आदेश एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक (ऑ0) एण्टी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय लखनऊ के निर्देशन में मादक पदार्थ के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपाधीक्षक राजेश कुमार सिंह एएनटीएफ यूनिट मेरठ के निकट पर्यवेक्षण में ए0एन0टी0एफ0 ऑपरेशनल यूनिट थाना मेरठ व थाना झिंझाना जनपद शामली पुलिस की सयुक्त कार्यवाही में मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के 04 सक्रिय सदस्य 1.प्रवीण कुमार पुत्र टेकराम 2. विकास कुमार पुत्र मोहकम सिंह 3. युगराज पुत्र स्व0 बीरबल 4.गौरव कुमार पुत्र स्व0 भोपाल सिंह को एचपी राणा पंजाबी ढाबा से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से कुल 183.690 कि0ग्रा0 अवैध डोडा पोस्त, 04.016 कि0ग्रा0 अवैध चरस बरामद कर विधिक कार्यवाही की गयी। इस सम्बन्ध में थाना झिझाना जनपद शामली पर मु0अ0सं0 346 /2023 धारा 08/15/20/25/29/37एनडीपीएस एक्ट में पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण -

गिरफ्तार अभियुक्तगण प्रवीण कुमार, विकास कुमार, युगराज व गौरव कुमार ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब हम ढाबे पर चरस व डोडा पोस्त रखने व सप्लाई करने का काम करते हैं । हम इस ढाबे पर डोडा व चरस बडी मात्रा में पार्टनरशिप करके मंगा लेते हैं और ढाबे को गोदाम की तरह प्रयोग करते हैं चूंकि यह ढाबा सडक किनारे है तथा थोडी ही दूर हरियाणा राज्य की सीमा भी है यहां से सप्लाई आसानी से हो जाती है। यह चरस व डोडा भी हमने पार्टनर शिप करके पैसे डालकर जनपद बदायूं क्षेत्र से मंगाया है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगणः-

1.प्रवीण कुमार पुत्र टेकराम निवासी मकान सं0 318 गली न0 2 ज्योती नगर करनाल हरियाणा ।

2.विकास कुमार पुत्र मोहकम सिंह निवासी अलावला थाना असन्द करनाल हरियाणा ।

3.युगराज पुत्र स्व0 बीरबल निवासी रोहटा रोड सरस्वती विहार मेरठ मूल निवासी सबका थाना छपरौली बागपत।

4.गौरव कुमार पुत्र स्व0 भोपाल सिंह निवासी करनाल रोड काकानगर लांसर पब्लिक स्कूल वाली गली थाना कोतवाली शामली।

बरामदगी का विवरण-

1-अवैध डोडा पोस्त/पाउडर 183.690 कि0ग्रा0 व अवैध चरस 04.016 कि0ग्रा0 (अनुमानित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य लगभग डोडा 27.50 लाख रुपये व चरस 40 लाख कुल कीमत 67.50 लाख)

2- 05 अदद मोबाइल फोन

3- 10540 रूपये

4- आधार कार्ड 02, पैन कार्ड 01, मिक्शी गिलाईण्डर 01, इलैक्ट्रानिक तोल काँटा 01

आपराधिक इतिहास अभियुक्त प्रवीण उपरोक्तः-

मु0अ0स0 365/23 धारा 15 एनडीपीएस एक्ट थाना सिटी करनाल हरियाणा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त गौरव उपरोक्तः-

मु0अ0स0 133/11 धारा 373/411/414/420 भादवि थाना आदर्शमण्डी जनपद शामली)

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-

1.निरीक्षक श्री सौरभ विक्रम सिंह प्रभारी ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

2.उ0नि0 एम राजेश मिश्र एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ (सर्विलांस प्रभारी)।

3.व0उ0नि0 प्रमोद कुमार थाना झिझाना शामंली।

4.उ0नि0 श्री तुषार सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।

5.उ0नि0 श्री राजेन्द्र सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
6.उ0नि0 श्री शिवम त्यागी ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
7.है0का0 राजेन्द्र सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
8.है0का0 कृष्णवीर सिंह ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
9.है0का0 पंकज कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
10.है0का0 सुशील भाटी ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
11.है0का0 चालक नवीन ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
12.सर्विलांस टीम एएनटीएफ मुख्यालय लखनऊ।
13.का0 अंकित कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
14.का0 सुशील खैवाल ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
15.का0 शुभम कुमार ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
16.का0 अमित तेवतिया ए0एन0टी0एफ0 थाना मेरठ।
17.का0 अरूण कुमार थाना झिझाना शामली।